न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 48/2020

1 बीरबल सिंह सेवदा पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी झीगर छोटी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत झीगर छोटी पंचायत समिति धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर।
2 तहसीलदार धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 23ए पब्लिक 152 विरूद्व निर्णय अपर जिला कलेक्टर सीकर पत्रावली संख्या 01/2018 बउनवानी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर बनाम बीरबल सिंह पूर्व सरपंच बाबत वसूली राजस्थान पब्लिक रिकवरी एक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 15.4.24

यह अपील विचारण न्यायालय अपर जिला कलेक्टर सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर के पूर्व संरपच ग्राम पंचायत झीगर छोटी पंचायत समिति धोद द्वारा राजकीय राशि का दुरूपयोग करने पर राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट 1952 के तहत वसूली का प्रकरण पेश किया जिसे विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रकरण स्वीकार कर वसूली वसूल किया जाना न्यायोचित मानकर उपखण्ड अधिकारी धोद को वसूली के आदेश पारित किये। इस आदेश के विरूद्व अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष 2009–10 के दौरान कराये गये कार्यो को मौके पर पूर्ण होने के उपरान्त तकनिकी अनमोदन के अभाव में पूर्णतया प्रमाण पत्र जारी करने तथा कार्यो के भुगतान के लिये आरोपित पूर्व संरपच एवं सचिव से वसूली के सम्बंध में पंचायतीराज विभाग सम्भागीय आयुक्त अंकेक्षण विभाग, लोकायुक्त तथा उच्च न्यायालय के विरोधाभाषी आदेशों पर चर्चा की गई। परिक्षण करने पर पाया गया कि पंचायतीराज अधिनियम की धारा 111 के तहत दायित्व निर्धारण किये बिना ही कर्मचारी के वेतन से वसूली शुरू कर दी गई जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया जा चुका है। इस बिन्दु पर विचारण न्यायालय ने बिना विचार किये निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद्व है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में अपने जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया है कि अप्रार्थी को जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नही करवाई गई है तथा ऐसा किसी दस्तावेज से रेस्पोडेंट ने साबित भी नही किया है न ही किसी प्रकार को सुनवाई का मौका दिया गया। विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय प्राकृतिक

भू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्याय के सिद्धान्तो के विपरित पारित किया है। रेस्पोडेंट ने अपीलांट के विरूद्ध राजनैतिक प्रभाव से झुठा प्रकरण पेश किया है जो किसी भी दस्तावेज से प्रमाणित नही है। प्रस्तुत प्रकरण पंचायत एक्ट प्रावधानों का होकर धारा 111 पंचायत एक्ट के प्रावधानों में वसूली योग्य था जिसका श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार योग्य अदालत मातहत को नही है। विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिया है, जो काबिल खारिज है। अपीलांट पर आरोपित राशि सम्बंधि कार्य कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत झीगर छोटी द्वारा कार्य सम्पादित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर समायोजन की आगे की कार्यवाही हेतु पंचायत समिति धोद को अग्रेसित किये गये थे। सरंपच व ग्राम सेवक का कार्य का कार्य यही समाप्त हो जाता है। इस बिन्दु पर भी विचारण न्यायालय ने कोई विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है। अत अपीलांट ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है। अपीलांट का यह कथन गलत है कि उसे जांच रिपोर्ट की जानकारी नही है। संरपच व सचिव को सूचना देने के बाद इनकी मौजुदगी में जांच की गई है। अपीलांट का यह कथन गलत है कि उन्हे जांच रिपोर्ट की प्रति अथवा सूचना नही दी। जिला परिषद सीकर की प्रशासन एवं स्थापन समिति की बैठक दिनांक 29.06.2018 को प्रस्ताव संख्या 19 समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्वंय विवेक से लिया गया है। ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2004 में निर्धारित प्रावधान 20.4 के अनुरूप नही कराया गया है। मूल्यांकन जांच प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने के बाद भी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्रों को समायोजित कर निर्देशों की अवहेलना करने के दोषी पाये गये है। ग्रामीण निर्देशिका 2004 क पृष्ठ संख्या 20 पर अंकित बिन्दु संख्या 19.2 के प्रावधान के अनुसार स्वीकृत किये गये कार्य एवं सम्पादित किये गये कार्य की प्रकृति या मापदण्डों में अन्तर हो तो कार्य के लिये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सक्षम अधिकारी द्वारा संशोधित स्वीकृति जारी करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र उल्लेखित अनुमत की राशि का समायोजन किया जा सकता है। अत रेस्पोडेंट ने अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट 1952 के अन्तर्गत वसूली का है। अपीलांट ने बार–बार कहने पर भी जांच रिपोर्ट उपलब्ध नही करवाई गई है। राजस्थान पंचायतराज की धारा 111 (8) उप धारा (3) के अधीन वसूल किये जाने के लिए आदिष्ट या उप धारा (4) के अधीन अवधारित किसी दायित्व की रकम सम्बंधित पंचायती राज संस्था द्वारा ऐसे सदस्य या, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी। राजस्थान पंचायतीराज कानून की धारा 111 (9) में किसी भी ऐसे विषय में जिसका इस धारा के अधीन साक्ष्य प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाना अवधारित किया जाना या निपटाया जाना अपेक्षित है। किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की कोई अधिकारिता नही होगी और सक्षम प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी भी आदेश को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नही किया जायेगा। प्रकरण के तथ्यो पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने प्रारम्भिक आपत्ति आवेदन एवं प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन किया। विचारण न्यायालय ने प्रारम्भिक आपत्ति पर निर्णय नही कर अन्तिम निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है।

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जांच की प्रति उपलब्ध करवाकर सुनवाई का समुचिम अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.05.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम, प्रयोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर